न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 96 / 2023

1. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र जाति बिश्नोई निवासी 10 केवाईडी खाजूवाला

.....प्रार्थी

1. डूंगरराम, भींवराज, रामेश्वरलाल, लक्ष्मणराम पिसरान सुगनाराम जाति मोची निवासी गंगानगर
2. राजस्थान राज्य जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 10 केवाईडी ए मु0नं0 156 / 32 में कुल 5.3109 है0 कृषि भूमि रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त चक के मुरब्बा नं0 156 / 30 में एक पानी की डिग्गी बनी हुई है जिससे प्रार्थी को एक पाईपलाईन डालने की आवश्यकता है जो कि उक्त पाईपलाईन भूमि के अंदन मुरब्बा नं0 136!31 के किला नं0 3,8,13,18,23 जो कि प्रार्थी की भूमि से सबसे नजदीक रहेगा में से डालकर लाना चाहता है। जिसकी प्रार्थी को अनुमति की आवश्यकता है। प्रार्थी के उक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुवे उचित कार्यवाही कर पानी ले जाने के लिए भूमिगत पाईपलाईन डालने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थीगण को डाक द्वारा नोटिस भिजवाने के बावजूद हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय सुना गया। चूंकि प्रकरण खेत में से भूमिगत पाईपलाईन डालने का है इसलिए काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क(1)(क) व धारा 251–क(1)(ख)(ii) के प्रथम पैरा अनुसार ''आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाईपलाईन बिछाने के लिए या ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईपलाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा'' स्पष्ट प्रावधान है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए व धारा 151 सीपीसी में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमिगत पाईपलाइन नियमानुसार भूमि से 3 फीट नीचे नियमानुसार पाईपलाईन बिछाने की अनुमति दी जाती है। तहसीलदार खाजूवाला को आदेशित किया जाता है कि यदि अप्रार्थीगण उक्त पाइपलाईन बिछाने हेतु सीमांकित या दर्शित लाईन नहीं देता है तो आप निकटतम रूट से पाईपलाईन बिछाने हेतु नियमानुसार सीमांकित करते हुवे, न्यायालय हाजा के आदेश की नियमानुसार पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)